हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्याःगृह–बी(बी)2–4/2004–II तारीख शिमला–2, 26/8/2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी(वेतन, भत्ते ओर सेवा की शर्ते) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 ओर अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओर इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्याःगृह–बी(बी)2–4/2002 तारीख 16–3–2004 द्वारा अधिसूचित ओर राजपत्र (आसाधारण)हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 मार्च,2004 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1).	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा(प्रथम संशोधन) नियम, 2010 हैं।
		(2).	ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
नियम–5 का संशोधन।	2		हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 के नियम–5 में, नियम–5 के अधीन सारणी के स्तम्भ 4 में विधमान परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक जोडे जाएंगे, अर्थातः–

"परन्तु यह और कि तीन भर्ती वर्षो की समय सीमा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े प्रवर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दु के विरुद वैकलाग/ अग्रनीत रिक्ति को भरने के लिए लागू होगी और तृतीय भर्ती वर्ष में विशष्ट अग्रनीत / वैकलाग रिक्ति को भरने के लिए ऐसा करते समय यह अधिसूचित किया जाएगा कि यदि उस प्रवर्ग से जिसके लिए यह पद आरक्षित है, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो रिक्ति को अनारक्षित समझा जाएगा और उसे अनारक्षित रिक्ति के रूप में भरा जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि तीसरे उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष मे अग्रनीत आरक्षित रिक्ति को यदि अनारक्षित अभ्यर्थी

द्वारा भरा जाता है तो ऐसा अभ्यर्थी उस प्रवर्ग हेतु अरक्षित रोस्टर बिन्दु अस्थाई तौर पर अभिधारित कर लेगा जिसके लिए अग्रनयन भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी और ऐसा अभ्यर्थी/ नियुक्त व्यक्ति आरक्षित रोस्टर बिन्दु को रिक्त कर देगा तथा जैसे ही पद आधारित रोस्टर में ऐसी अनारक्षित रिक्ति उपलब्ध हो जाती है, ऐसी अनारक्षित रोस्टर बिन्दु अभिधारित कर लेगा तथा अनारक्षित अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार रिक्त किए गए रोस्टर बिन्दु को ऐसे रोस्टर बिन्दु प्रवर्ग के लिए रखी गई आरक्षित रिक्ति के रूप मे विज्ञापित किया जाएगा "

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (गृह विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0::गृह–बी(बी)2–4/2004–II

तारीख शिमला–2 26/8/2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख महालेखाकार हिमाचल प्रदेश शिमला–4
2 महा पंजीयक उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश–1
3 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
4 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002. ।
5 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन विभाग, शिमला 171005 से अनुरोध है कि उक्त नियमों को हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण)में प्रकाशन हेतु ।
6 अवर सचिव, विधि (राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार, सचिवालय, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
7 . रक्षक नस्ति।

अवर सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Government Notification No. Home-B(B)2-4/2004-III dated 26/8/2010 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
'HOME DEPARTMENT'

...

No:Home-B(B)2-4/2004-II, Dated Shimla the 26/8/2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Articles 233, 234 and proviso to Article 309 of the Constitution of India read with sub-section (i) of section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No.13 of 2003) and all other powers enabling her in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, notified by this Department's notification No. Home-B(B)2-4/2002, dated 16th March, 2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 20th March, 2004 namely:-

Short title and commencement	1.	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Service (1st Amendment) Rules, 2010
		(2)	They shall come into force with immediate effect.
Amendment of Rule-5	2.		In Rule-5 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 in TABLE UNDER RULE-5, in column 4, after the existing proviso the following provisos shall be added namely; " Provided further that a time cap of three recruitment years shall apply for filling up of backlog/carry forward vacancy against reserved roster point for Schedule Castes/Schedule Tribes/Other Backward Classes and while doing so in the 3rd recruitment year to fill up a particular carry forward/backlog vacancy, it shall be notified that in case suitable candidate from the category to which the post is reserved is not available then the vacancy will be treated as un-reserved and filled in as un-reserved vacancy.

			Provided further that if backlog/carry forward reserved vacancy is filled by un reserved candidate in the 3rd successive recruitment year, such candidate shall temporarily occupy the roster point reserved for the category for which carry forward recruitment process was followed and such candidate/ appointee shall vacate the reserved roster point and occupy the un-reserved roster point as soon as such un-reserved vacancy is available in the post based roster and that the roster point so vacated by un-reserved candidate shall be advertised as reserved vacancy meant for such roster point category".

By Order
Principal Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No: Home-B(B)2-4/2004-II Dated: Shimla-2 the 26/8/2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Principal Accountant General, H.P.Shimla-2.
2. The Registrar General, H.P.High Court, Shimla-1.
3. All Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
4. The Secretary, H.P.Public Service Comission, Shimla-2..
5. The Controller, Printing and Stationery Department, H.P.,Shimla- for publication in the Rajpatra, H.P.(Extra Ordinary).

Under Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.